File No. BES2-5 BES2-5/2082-5XX/2024-A-XXIV-A-2 Basic Education Department (Computer No. 41030)

'209647 /2024

'209647 /2024

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्याः \ /XXIV-A-2/24–45/2008 T.C IV

देहरादून, दिनांक 08 मई, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण. करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो। वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री–स्कूल (नर्सरी, एल0के0जी0, यू0के0जी0) मे प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा–1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षो की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा। आगामी वर्षो में प्री–स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री–स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा–1 में प्रवेश हेतु अर्ह हो। उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:55

(रविनाथ रामन)
सचिव

·209647/2024

संख्याः 232 ( )/ XXIV-A-2/24–45/2008 T.C IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की, सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pooran Giri
Date: 08-05-2024 13:49:11

(पूरन गिरि)
उप सचिव

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 08/05/

209646/2024 In pursuance of the provision of clause(3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is
209646/2024 pleased to order the publication of the following English translation of notification no. .... dated

Govt. of Uttarakhand
Basic Education section-2
No. /XXIV-A-2/24—45 / 2008 T.C IV
Dehradun, Dated 08 May, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the Governor makes the following rules with a view of further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011 :-

THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2024

Short Title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024
(2) It shall come in force from subsequent academic session 2024-25.

Amendment of rule 2.

2. In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the existing clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 as set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted namely.

Column- 1	Column- 2
Existing Clause	Hereby Substituted Clause
"Child" means a male or female child of the age group of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age group of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years on (i.e. 1st April of every year) or before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years;".	"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years Children who are at present enrolled in pre-school (i.e., Nursery, LKG, UKG), shall hereby continue their education in further classes as per the previously existing rule and they shall not face any hurdle in continuing their further education. In the subsequent years, it shall be mandatory for all schools conducting pre school classes to determine the minimum age for admission in pre-school classes in such a way that only children who have completed the age of 6 shall be admitted in class I. In addition to the above, admission procedure in school for children with special needs shall be adopted in such a way that their elementary education may be completed uninterrupted till they complete the age of 18 years.

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:23

(Ravinath Raman)
Secretary

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department

·209646/2024

No.233 ()/XXIV-A-2/24-45 / 2008 T.C IV Dated

Copy to followings for information and necessary action:

1. Director General, School Education, Uttarakhand, Dehradun.
2. State Project Director, Samagra Shiksha Yojana, Uttarakhand.
3. Director, Elementary Education, Uttarakhand, Dehradun.
4. All the District Magistrate, Uttarakhand.
5. All Chief Education Officer, Uttarakhand.
6. All District Education Officer, (Elementary) Uttarakhand.
7. Joint Director, Govt. Litho Press, Roorkee for the publicaton in Govt. Gazette.
8. Guard File.

By order,

Signed by Pooran Giri
Date: 08-05-2024 15:37:25

(Pooran Giri)
Deputy Secretary

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on

145153/2023

BES2-5/109/5/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या:5/0/XXIV-A-2/23–46/2008T.C.IV

देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2023

DD-II 512 DD.अ.शो.

अधिसूचना

राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है;	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथन तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-08-2023 14:45:31

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:5/0( )/XXIV-A-2/23–46/2008T.CIV तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा योजना, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रैस, रुड़की, सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

BES2-5/109/5/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department 511

/2023

In pursuance of the provision of clause(3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notificatoin no.......... dated for general information:

Govt. Of Uttarakhand
Basic Education section-2
No. — /XXIV-A-2/23-46/2008T.CIV
Dehradun, Dated 10 August, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009(Central Act No. 35 of 2009), the Governor makes the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011 :-

THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2023

Short Title and Commencement: 1 (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2023.

(2) It shall come into force from subsequent academic session 2024-25.

Amendment of Rule 2 2. In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Rules, 2011 for the existing clause (f) of Sub-rule (1) of rule 2 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely--

Column-1 Existing Sub-rule	Column-2 Hereby Substituted Sub-rule
"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age of 6 to 18 years".	"Child" means a male or female child of the age group of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age group of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years on (i.e. 1st April of every year) or before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years;".

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-08-2023 14:46:11

(Ravinath Raman)
Secretary